



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- 1. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी सवाई माधोपुर वर्तमान अटैच जयपुर 2. रामराज मीणा (प्राइवेट व्यक्ति) एवं 3. प्रदीप उर्फ बन्टी पारीक (प्राइवेट व्यक्ति) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8, 11, 12 पीसी एक्ट, 1988 (यथा संसोधित 2018) में एफआईआर संख्या 119/2025 दर्ज कर सर्च की कार्यवाही की जा रही है।

जयपुर, 19 मई, सोमवार। डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा, महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि सवाई माधोपुर जिले में रामराज मीणा द्वारा अवैध बजरी के खनन को संरक्षण देने के लिए विभागों के अधिकारियों व दलालों के माध्यम से सांठ-गांठ कर अवैध राशि ईकट्टा कर अधिकारियों को पहुंचाई जा रही है तथा बजरी खनन माफियाओं को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। श्री रामराज मीणा का मोबाईल नम्बर नियमानुसार अन्तावरोध पर लिया गया तो यह प्रकट हुआ कि रामराज मीणा व सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी सवाई माधोपुर द्वारा लोकसेवकों को कार्यवाही का भय दिखाकर रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है, सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा अपने पद व अधिकारों का प्रभाव दिखाते हुए शराब के ठेकेदारों से अवैध शराब की बोलतले प्राप्त की गई तथा रामराज मीणा व प्रदीप उर्फ बन्टी के माध्यम से डीटीओ/सरकारी अधिकारियों से मंथली बंधी की राशि प्राप्त करने व सुरेन्द्र कुमार शर्मा को समय-समय पर रिश्वत राशि पहुंचाई गई तथा सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा षडयंत्र कर सवाई माधोपुर जिले में लोकसेवकों को रिश्वत राशि मांगने की रिकॉर्डिंग का झूठा भय दिखाकर मामला ऊपर की ऊपर निपटाने व सर्जिकल स्ट्राइक कर देने के नाम से रिश्वत राशि प्राप्त करने के तथ्य आये हैं। सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा अपने दलालों के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले के पुलिस अधिकारियों से भी रिश्वत राशि मांगने व प्राप्त करने के भी तथ्य आये हैं। रामराज मीणा ने सुरेन्द्र कुमार शर्मा के माध्यम से अवैध बजरी के ट्रकों का संबंधित थाना क्षेत्र से बाहर करवाने के लिए पुलिसकर्मियों पर अवैध रूप से अपने पद का प्रभाव करते हुए दबाव डाला। सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा रामराज मीणा के माध्यम से अपने क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारियों को अवैध रूप से रिकॉर्डिंग आदि का भय दिखाने आदि षडयंत्र के तथ्य भी आये हैं।

श्री राजेश सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस, एसीबी जयपुर के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विशनाराम द्वारा आरोपीगणों को डिटेन कर पूछताछ एवं अनुसंधान की कार्यवाही जारी है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपीगणों को डिटेन कर पूछताछ एवं अनुसंधान की कार्यवाही जारी है।